रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4445] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2018/कार्तिक 15, 1940
No. 4445] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2018/KARTIKA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5657(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6घघघ के उप नियम(4) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43 की उप धारा (5) के परन्तुक के खण्ड(ड़) के स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा **"भारतीय वस्तु विनिमय लि.(पैन:ए.ए.बी.सी.आई.9479डी.)** को **01.11.2018 के प्रभाव से** उक्त खण्ड के उद्देश्य से एतद्वारा "मान्यता प्राप्त संघ" के रूप में अधिसूचित करती है, बशर्ते वस्तु व्युत्पन्न में ट्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन हों।

(i) व्युत्पन्न की ट्रेडिंग के संबंध में विनिमय को, फार्वर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) (राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 2630 (अ) दिनांक 24.09.2015 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ संविलयित) के तहत गठित फार्वर्ड बाजार का अनुमोदन होगा और यह इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, या

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के विवरण(विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या और पैन सहित) विधिवत् रिकार्ड हों और इसके डाटाबेस में संग्रह हों, या

(iii) यह कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए अपने सिस्टम पर (व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) सभी संव्यवहारों का पूरा लेखा-परीक्षा अनुवर्तन (ट्रेल) का रख-रखाव करेगा।

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम में एक बार रजिस्टर(व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) संव्यवहार हटाए नहीं जांए।

(v) यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम में एक बार पंजीकृत(व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) संव्यवहारों को केवल वास्तविक त्रुटि (जैसाकि दिनांक 19.08.2016 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/ एच .ओ. /सी.डी.एम .आर.डी ./डी. एम. पी. /सी .आई . आर./पी./2016/73 में उल्लिखित है) के मामलों में ही आशोधित किया जाए और आशोधित किए गए सिस्टम में पंजीकृत सभी संव्यवहारों(व्युत्पन्न बाजार के संबंध में) के संबंध में डाटा का रख-रखाव करेगा तथा विवरण से संबंधित प्रत्येक माह के आखिरी दिन से पन्द्रह दिनों के भीतर फार्म सं. 3 बी.सी. में संबंधित मासिक विवरण, महानिदेशक आयकर(आसूचना और आपराधिक जांच) को प्रस्तुत करेगा।

2. यह अधिसूचना लागू रहेगी बशर्ते-

(क) जब तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति वापस नहीं ले ली जाती या समाप्त नहीं हो जाती; या

(ख) यदि उपर्युक्त पैरा में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है:,

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 घघघ के उप नियम (5) के तहत केन्द्र सरकार में निहित शक्तियों के प्रयोग के तहत, यह अधिसूचना, बाद की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ड.) के तहत अनुमोदन हेतु नए आवेदन-पत्र को दायर करने की विनिमय की अनुमति के साथ 31.10.2021 को निरस्त समझी जाएगी।

इनमें से जो भी पहले हो ।

[अधिसूचना सं. 76/2018/फा. सं. 225/261/2018-आई.टी.ए.-II]

राजराजेश्वरी आर., अवर सचिव (आईटीए-II), सी.बी.डी.टी.